राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या–1677/2023)

देवेन्द्र कुमार सेमारा **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.07.2023

उपस्थित :–

प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी लेब असिसटेंट के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने बी.एड. की पढाई के लिए पी.टी.ई.टी. की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति चाही थी। अपीलार्थी पी.टी.ई.टी. की परीक्षा में शामिल हुआ था एवं अपीलार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण भी घोषित हो गया है। अपीलार्थी को सेवा में पदोन्नति हेतु बी.एड. करना आवश्यक है। अपीलार्थी को बी.एड. के लिए अध्ययन अवकाश की आवश्कता है। पूर्व में वर्ष 2021 में भी अपीलार्थी ने विभाग से अध्ययन अवकाश हेतु स्वीकृति चाही थी। जिस आवेदन पर आपत्ति की गई थी। अतः अपीलार्थी इस कारण से वर्ष 2021 में बी.एड. नहीं कर सका था।
3. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने यह निवेदन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाये कि अपीलार्थी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करें।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को बी.एड. की प्रवेश परीक्षा में जो अंक प्राप्त किये है, उसके आधार पर काउंसलिंग आई.डी. दी गई है। अपीलार्थी ने प्रवेश परीक्षा 2023 में दिया है। जिसका परिणाम घोषित होने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सेवा नियम के नियम–110 के तहत अध्ययन अवकाश के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया हो, यह प्रकट नहीं हेाता है। नियम–110 राजस्थान सरकार के अनुसार यह स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी की सम्मति पर निर्भर करता है कि ऐसी स्वीकृति को विभागीय कार्य के हित में समझा जाये या नहीं। अतः स्वीकृति देने से पूर्व स्वीकृति प्राधिकारी को अपने

विवेक का प्रयोग करना होता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा नियम–110 के तहत स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा जिस विवेक का प्रयोग किया गया है, वह कार्य इस अधिकरण द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं यह अधिकरण अपने विवेक से यह निर्णय नहीं ले सकता है कि अपीलार्थी को स्वीकृति प्रदान की जाये या नहीं।

5. उपरोक्त परिस्थितियों में इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)